

बिना प्ले ग्राउंड और सुविधाओं के चल रहे निजी स्कूल, अधिकारियों ने मूंदी आंखें

स्कूल बना व्यापार नियम दरकिनार

कई बार ऐसा होता है कि स्कूल मान्यता लेते समय जो बिल्डिंग और प्ले ग्राउंड दिखाते हैं, वहां स्कूल नहीं चलता। स्कूलों ने प्ले ग्राउंड होना अनिवार्य है। ऐसे स्कूलों की जांच की जाएगी। आमतौर पर कार्टवाई करने की प्रक्रिया तब शुरू होती है, जब अभिभावक स्कूल से सम्बंधित शिकायतें लिखित में दें। स्कूलों को व्यवस्था को सुचाल करने के लिए कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं। अगर कमियों को नहीं दूर किया गया, तो सरकार कार्टवाई की जाएगी।

कंचन लता जैन, डीईओ



केस
1

गौतमजी की मढ़िया के पास पीएसए किंडर गार्टन एंड सीनियर स्कूल छत पर शेड लगाकर चलाया जा रहा है। यहां न न तो पार्किंग की व्यवस्था है और न बच्चों के लिए खेलने का मैदान। सामने सड़क पर भारी यातायात रहता है। स्कूल पर बोर्ड लगा

है जिसमें किंडर गार्टन, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला के संचालन की बात लिखी है। भवन को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस परिसर में इतनी कक्षाएं कैसे लग सकती हैं।

बरगी के गांवों में सर्व शिक्षा अभियान से लेकर मनरेगा तक सब फेल

छूट
गया
स्कूल
जाना



एकसपोज रिपोर्टर, जबलपुर
बरगी जलाशय के मछली उत्पादन पर निर्भर मछुआरों की मुफलिसी और तंगहाली का क्रम अगले कुछ वर्षों में भी शायद ही टूट सके। पेट की आग से मजबूर मछुआरे अपने नौनिहालों को स्कूल से निकालकर नाव देकर जलाशय का रास्ता पकड़ रहे हैं। सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजना और घर के पास मजदूरी का अवसर उपलब्ध कराने वाली मनरेगा का इन गांवों में दूर-दूर तक प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। यहां के लोगों के लिए रोजगार और बच्चों के लिए शिक्षा की राह नहीं तलाश पाने की मजबूरी।

विस्तृत पढ़ें... पेज 2 पर


शिक्षा की शहर में बाढ़ सी आ गई है। घरों में स्कूल और किंडर गार्टन संचालित कर म.प्र. शिक्षा अधिनियम का खुलकर मध्यौल उड़ाया जा रहा है। ऐसे परिसर में स्कूल चल रहे हैं, जहां न तो खेलने का मैदान है और न खुले हवादार कमरे। अभिभावकों में बच्चों की स्कूलिंग को लेकर जागरूकता का अभाव है और इस बात का फायदा उठाने वाले अमूमन हर कॉलोनी में दिखाई दे रहे हैं। एकसपोज रिपोर्टर ने गढ़ा के कुछ स्कूलों को देखा, जो निजी मकानों में चल रहे हैं। मान्यता देने वाला शिक्षा विभाग गहरी नींद में सोया है और मोटी मोटी फीस लेकर निजी स्कूल संचालक मलाई काट रहे हैं।

एकसपोज रिपोर्टर @ जबलपुर शिक्षा विभाग ऐसे कुछ स्कूलों को नोटिस भिजवाकर निश्चिंत बैठ गया है। उसका मानना है कि स्कूल संचालक जरूरी मापदंड खुद ही पूरा कर लेंगे। विभाग के जिम्मेदारों का यह भी कहना है कि सभी शालाओं का निरीक्षण सम्भव नहीं है। अगर अभिभावक लिखित शिकायत करें, तो कार्टवाई की जा सकती है। बच्चों के लिए खतरनाक और प्रतीकूल वातावरण में चल रही शालाओं के लिए अभिभावकों की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर है, लेकिन उन पर विभाग की निर्भरता की बात, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है।

विस्तृत पढ़ें... पेज 2 पर

Inside

सीवर्पल में
खुद लारा
7. CINEMA
गोसिस



महंगी पड़ सकती
है नई सड़क
3. MEGA
स्टोर



इनोवेशन से
रहें बचकर

5. me.next...



खुद को करें
प्रोत्साहित

9. परिवार

RAJEEV GANDHI INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

मार्खनलाल चतुर्वेदी रा.प. विश्वविद्यालय, भोपाल Since- 1996

BCA	MSc-CS	ADMISSION NOTICE
BSc-IT	MSC-IT	<ul style="list-style-type: none"> • PGDCA के छात्रों को MSc-CS के 3rd Semester में सीधे प्रवेश • Direct spot admission • No confusion about online admn. • Timely exam conduction by Uni. • Experienced faculty staff • Sufficient practical time • Good Campus and Library facility.
BJ	PGDCA	
DCA	PGDM	
		SCHOLARSHIP
		ST, SC, OBC & Handicapped छात्रों को शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति (Scholarship) प्रदान की जाएगी।

MBA	MBA Executive- 1 Yr.	BJMC
MSW	MJMC	BCA
MCA	MSc-CS	PGDCA
MA-Edu	M-Lib	DCA/BLib

समस्त पाठ्यक्रम सरकारी व निजी विभागों में मान्यता प्राप्त
सम्पर्क: RTO के पास, जीरीएफ मार्ग, रिविल लाईन्स, जबलपुर फोन: 2677992

